क्र० सं०	सैक्टिल/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कस्बा/शहर/जिला मुख्यालय
18.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ
		2. कानपुर
		3. वाराणसी
		4. आगरा
		5. इलाहाबाद
		6. सहारनपुर
		7. बरेली
		8. रुद्रप्रयाग
19.	पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता
		2. सिलीगुड़ी
		3. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (पोर्ट ब्लेयर)

बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्युत् उत्पादन की निजी/विदेशी परियोजनाएं

*413. **श्री दिग्विजय सिंह :**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी/विदेशी कंपनियों को बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्युत् उत्पादन की परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति देने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार इन राज्यों में विद्युत् की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत् मंत्री (श्री एन०के०पी०साल्वे) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने विष्णु प्रयाग जल विद्युत् परियोजना (400 मे०वा०), रोजा ताप विद्युत् केन्द्र (750 मे०वा०) और जवाहरपुर ताप विद्युत् केन्द्र (750 मे० वा०) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा बिहार सरकार ने चांबिल ताप विद्युत् केन्द्र (500 मे०वा०) को क्रियान्वयन के लिए निजी प्रवर्तकों को सौंप दिया है ।

Scam in the Bank of India

*414. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which was published in the Indian Express of March 18, 1994 revealing yet another financial scam in the Bank of India, wherein their high officials have duped the Bank of sixty crores of rupees; and

(b) if so, what are the details thereof and what stringent steps Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) On a complaint filed by Bank of India, CBI has registered a case on 22-2-94 against a former senior Vice President of Bank of India, New York branch and others for defrauding Bank of India to the extent of approximately Rs. 28.33 crores. The allegations in brief are that the former senior Vice President of Bank of India, in pursuance of a criminal conspiracy with certain borrowers in USA and some unknown officers of the bank and private parties, misused his official position and granted various credit facilities by exceeding his delegated authority and without making required credit assessment including pre-sanction inspection/post-sanction inspection. Further, the financial status of the borrowers was also not ascertained.

CBI have reported that in connection with this case, they have searched the residential premises of a former Chairman & Managing Director of Bank of India and seized certain assets and incriminating documents therefrom. Further action as warranted would be taken in accordance with the results of CBI investigation.

समाचारपत्रों, फिल्मों, दूरदर्शन इत्यादि पर अशोभनीय विज्ञापन और दृश्य

*415. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों, दूरदर्शन और फिल्मों में आने वाले अशोभनीय और अपमानजनक विज्ञापनों और दृश्यों के विरुद्ध कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कामोत्तेजक विज्ञापनों और अश्लील फिल्मों के युवकों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(घ) क्या सरकार ऐसे दृश्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने और दोषी पाए गए निर्माताओं के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में महिला संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।(नीचे देखिए)

(ग) जी, नहीं ।

(घ) दूरदर्शन तथा फिल्मों के मामले में ऐसी रोक-थाम लगाई जा रही है ।

(ङ) और (च) महिला-संगठनों सहित विभिन्न पक्षों से समय-समय पर अभिवेदन प्राप्त होते रहते हैं । इनमें से अभिसंख्य शिकायतें सामान्य प्रकार की होती हैं । तथापि, इन शिकायतों की जांच करके समुचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है । इन शिकायतों के बारे में कोई केंद्रीयकृत सूचना नहीं रखी जाती ।

विवरण

चूंकि समाचार-पत्र निजी क्षेत्र में आते हैं, लिहाजा सरकार उनकी कार्य-प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करती । तथापि, भारतीय प्रेस परिषद को भारतीय समाचारपत्रों व समाचार एजेंसियों के स्तर को बरकरार रखने तथा उनमें सुधार लाने का दायित्व सौंपा गया है ।

अश्लीलता की रोकथाम के उद्देश्य से वाणिज्यिक विज्ञापन-संहिता दूरदर्शन के सभी विज्ञापनों को विनियमित करती है । इसके ब्यौरे संलग्न हैं । (नीचे देखिए)

जन प्रदर्शन के लिए सभी फिल्में विहित प्रक्रिया के अनुसार तथा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत जारी दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जांची जाना अपेक्षित हैं । किसी एक या एक से अधिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली फिल्म के तद्विषयक भाग को, प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले निकाल दिया जाता है । जब कोई फिल्म अवयस्कों को दिखाई जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाती, उसे "ए" प्रमाण-पत्र दिया जाता है । यदि ऐसे विलोपनों से भी आपत्तिजनक प्रभाव नहीं मिटे तो उस फिल्म को प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर दिया जाता है । ये सभी दिशा-निर्देश, फिल्मों के विज्ञापनों के मामले में समान रूप से लागू होते हैं । संशोधित दिशा निर्देश संलग्न हैं ।

वाणिज्यिक विज्ञापन-संहिता में दूरदर्शन पर विज्ञापनार्थ "आचार-मानक" निर्धारित हैं ।

इसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय का भी उल्लेख है कि देश के कानूनों के अनुरूप ही विज्ञापन बनाए जाने होंगे तथा उनसे लोगों की नैतिकता, शालीनता तथा धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए ।

उन मुख्य-मुख्य विशेषताओं का जिनका अश्लीलता से संबंध है, नीचे उल्लेख किया गया है :—

(i) अश्लीलता को किसी भी रूप में महिमान्वित करने वाली किसी भी विज्ञापन को मंजूरी नहीं दी जाएगी ।

(ii) विज्ञापन दाता यह सुनिश्चित करेगा कि महिला आकृति का चित्रांकन सुरुचिपूर्ण व सौंदर्यबोधक हो तथा सुरुचि व शालीनता के प्रतिष्ठित मानदंडों की मर्यादा के भीतर हो ।

(iii) आकाशवाणी व दूरदर्शन प्रसारण संहिता का उल्लंघन करने वाले तथा इस प्रकार अश्लीलता व अपकीर्तिकर-सामग्रीयुक्त किसी भी विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(iv) सभी विज्ञापनों में, अशिष्ट, अभद्र, उद्दीपक, प्रतीकारात्मक तथा आक्रामक विषयों या व्यवहारों का वर्जन किया जाए ।

(v) अन्य सभी लिहाजों से, दूरदर्शन में वाणिज्यिक प्रसारण के प्रयोजनों से समय-समय पर यथा संशोधित "भारत में विज्ञापनार्थ आचार संहिता" महानिदेशक का मार्गदर्शन करेगी ।

(भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड–3 तथा उपबंध–2 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसंबर, 1991

अधिसूचना

सा०का०नि० 836(ई) केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फा०आ० 9(अ), तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को मंजूरी देने के लिए फिल्म

प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शन सिद्धांत होंगे :--

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि :—

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक् रूप से रोक न लगाई जाए;

(ग) प्रमाणन व्यवस्था व सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हों;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें; और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो ।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि :—

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

(2) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाएं;

(3) ऐसे दृश्य न दिखाएं जाएं जिनमें :—

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में अथवा हिंसा के बलात्दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं;

(4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों;

(5) वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

(6) मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने वाले अथवा उचित ठहराने वाले दृश्यों को न दिखाया जाए;

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिससे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए;

(11) काम-विकृतियों दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए । यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिएं;

(13) सांप्रदायिक, रूढ़िवादी, अदैधानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिएं;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए ;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए ;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि-निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो;

व्याख्या : ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें, न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे ।

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाए जाएं ।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि:--

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो ।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी ।

5.(1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है, अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं, के साथ बैठकर देखा जा सकता हो ।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा ।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी ।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि वे शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड का उल्लंघन नहीं करते हों ।

पाद टिप्पण :—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (11) तारीख 7-1-78 में का० आ० 9(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-1-78 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ(सी) (1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (11) तारीख 17-2-79 में का० आ० 618 के रूप में प्रकाशित तारीख 27-1-79 की अधिसूचना संख्या 5/5/77 एफ(सी) ।

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (11) तारीख 7-5-83 में का० आ० 356(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-5-83 की अधिसूचना संख्या 805/2/82-एफ(सी) ।

(3) भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (11) तारीख 9-9-89 में का० आ० संख्या 2179 के रूप में प्रकाशित तारीख 11-8.89 की अधिसूचना संख्या 803/4/89-एफ-(सी) फा० संख्या 805/1/90-एफ(सी)

ह०/-

(एस० लक्ष्मीनारायणन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन : 383857

मध्य प्रदेश में डाक और तारघर

*416. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या संचार मंत्री 15 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2582 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में डाक और तारघरों की वर्तमान संख्या जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान जिलावार कितने नए डाकघर और उप-डाकघर खोले जाने की संभावना है तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैय्या नायडू) : (क) से (ग)

डाकघर

मध्य प्रदेश में 31-3-93 की स्थिति के अनुसार 11,174 डाकघर थे और प्रत्येक डाकघर औसतन 5,918 लोगों को सेवा प्रदान करता है । इसकी तुलना में अखिल भारतीय औसत 5,553 है ।